कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में 150 पैराग्राफों और चार वृहद् विषयगत पैराग्राफों को शामिल करते हुए ₹ 2428 करोड़ का कुल राजस्व प्रभाव निहित है। इसमें ₹ 38.90 करोड़ मौद्रिक मूल्य वाले 92 पैराग्राफ शामिल हैं जिन पर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करके ₹ 15.40 की वसूली की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

- जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.6 प्रतिशत पर स्थिर हो गया।

{पैराग्राफ 1.5}

- वित्तीय वर्ष 14 के दौरान निर्यात में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि आयात में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.6 से 1.8}

- वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 की अवधि में छोड़े गये राजस्व का प्रतिशत 43 से 63 प्रतिशत रहा। योजनाओं के अंतर्गत पाँच योजनाओं में कुल छोड़ा गया राजस्व 79 प्रतिशत था।

{पैराग्राफ 1.11}

- वित्तीय वर्ष 14 की समाप्ति पर विभाग द्वारा मार्च 2014 तक माँग किए गए ₹ 17,986 करोड़ के सीमाशुल्क की वसूली नहीं की गई थी। इसमें से ₹ 5,964 करोड़ गैर विवादित था। वि.व. 14 के दौरान सात जोनों में लगभग 72 प्रतिशत राजस्व बकाये की गणना की गई।

{पैराग्राफ 1.13}

- पिछली पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (चालू वर्ष की प्रतिवेदन सहित) में, हमनें ₹ 4533 करोड़ निहितार्थ वाले 656 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे। जिसमें से, सरकार ने ₹ 320 करोड़ निहितार्थ वाले 575 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ मान ली और ₹ 109 करोड़ की वसूली की।

{पैराग्राफ 1.28}

अध्याय III: निर्धारण महानिदेशालय की कार्यप्रणाली

- डीजीओवी द्वारा विकसित निर्धारण तंत्र, अनुरक्षित डाटाबेस में सुधार की संभावना है जिसमें फलस्वरूप राजसव निहितार्थ है।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.16}

अध्याय IV: सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

- हमनें कुल ₹ 115.52 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण का पता लगाया। ये मुख्यत: वेयरहाउसिंग के गलत विस्तार, भारत में हानिकारक वस्त्र रंजकों की मंजूरी, समय-समय पर उत्पाद शुल्क प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान, ड्रॉबैक के अधिक भुगतान, एंटी डंपिंग शुल्क की गैर उगाही और गलत तरीके से परियोजना आयात लाभ अनुमत करने के कारण थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.11}

अध्याय V: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत लागूकरण

- सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत लागूकरण के कारण ₹ 30.56 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.6}

अध्याय VI: माल का गलत वर्गीकरण

- सामानों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 9.99 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

{पैराग्राफ 6.1 से 6.9}

अध्याय VII: शुल्क छूट/रियायत योजनायें

- निर्यातकों/आयातकों से ₹ 1.90 करोड़ का राजस्व बकाया था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ लिया था किन्तु उन्होंने निर्धारित दायित्व/शर्तें पूरी नहीं की थी।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.2}

- इस अध्याय में हास्पिटलिटी क्षेत्र द्वारा अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर एक लम्बा पैराग्राफ भी शामिल किया गया है, जिसमे बिना वैध

प्रमाणपत्र के सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करना, स्थापना प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्टों का गैर-प्रस्तुतीकरण, शुल्क स्क्रिप का गलत/अधिक छूट, ₹ 180.75 करोड़ के कुल मौद्रिक मूल्य वाले अनर्हक विदेशी मुद्रा को मंजूरी देने के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

{पैराग्राफ 7.3 से 7.24}

अध्याय VIII: डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली की लेखापरीक्षा

- डीजीएफटी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय इनके आदेशित कार्यों के लिए डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली पर निर्भर हैं, डीजीएफटी ईडीआई डाटाबेस के विश्लेषण से एफटीपी प्रावधानों की गलत या अपर्याप्त योजना, प्रविष्ट डाटा के वैधता के अभाव, कई हस्तगत छेड़छाड़ और डाटा बदलने, महत्वपूर्ण दर दिशा-निर्देशों के अनुचित अद्यतन आदि से संबंधित मुद्दों पर ईडीआई प्रणाली की वर्तमान स्थिति में कई खामियों का पता चला।

- डीजीएफटी को अपने ईडीआई प्रणाली को लेन-देन मूल्य अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मान्यता देनी चाहिए। राजस्व प्रभाव और व्यापार सुविधा उपशाखाओं के साथ जटिल ऑनलाइन प्रणालियों का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ डीजीएफटी में एक अनुरूप आईएस संगठन की तत्काल आवश्यकता है।

- लेखापरीक्षा ने ₹ 1062.40 करोड़ के मौद्रिक मूल्य के साथ अपर्याप्त वैधता, इनपुट और प्रक्रिया नियंत्रण तथा ₹ 987.21 करोड़ मौद्रिक मूल्य के साथ कारोबारी प्रक्रियाओं और नियमों के गलत मामले देखे।

{पैराग्राफ 8.1 से 8.8}